

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 665 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्राशासक स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -गृह विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	उषा जोशी	श्री भैरव दत्त कफलिया	ग्राम-भगवानपुर जयसिंह, पो0-कठघरिया जिला-नैनीताल	सामान्य	15.07.1997	नैनीताल	बी0ए0/ एम0एड0	72.50	रा0इ0का0 छड़नदेव पिथौरागढ़ औपबन्धिक


(गजेन्द्र सिंह सौन)
 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
 क्रमशः पृष्ठ 02.....

सं-3क(2)/अराज0/ 7009-19

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भाँति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा0 न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0-गृह विज्ञान विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—
(1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि।
(2)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।

अथवा

- (1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में बी0एस0सी0 (ऑनर्स) विषय के साथ स्नातक की उपाधि/गृह विज्ञान में त्रिवर्षीय स्नातक की उपाधि।
(2)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।
(ड)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
(च)- अभ्यर्थी की आयु 01-07-2024 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
(छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0-संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

- 11- कार्यालय आदेश पंजिका।

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूगी।

प्रतिहस्ताक्षरित.....

संस्थाध्यक्ष.....

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें ३क(२)/अराज०/ ६६६

/2025-28 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-गृह विज्ञान-(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	ज्योति रावल	श्री मोहन सिंह रावत	रानीधारा टॉप, हीराडुंगरी जिला-अल्मोड़ा	सामान्य	22.08.1994	अल्मोड़ा	बी०एस०सी० गृह विज्ञान/बी०एड०	66.00	रा०क०उ०मा०वि० डुंगरा अल्मोड़ा औपबन्धिक
2	प्रियंका फरस्वाण	श्री हरेन्द्र सिंह	नियर तिवारी हार्डवेयर हल्दापानी गोपेश्वर जिला-चमोली	सामान्य	18.01.1998	चमोली	बी०एस०सी० गृह विज्ञान/बी०एड०	66.00	रा०क०इ०का० मरसोली अल्मोड़ा औपबन्धिक
3	वैशाली	श्री किशोर चन्द्र	द्वारिकापुरी फेज-3, नियर अम्बिका धर्मकांटा, गैस गोदाम रोड कुसमखेड़ा हल्द्वानी जिला-नैनीताल	सामान्य	27.05.1998	नैनीताल	बी०एस०सी० गृह विज्ञान/बी०एड०	65.75	रा०क०इ०का० चौखटिया, अल्मोड़ा औपबन्धिक
4	मनसा मणि त्रिपाठी	श्री प्रेम मणि त्रिपाठी	पत्नी श्री अमित रतूड़ी, लेन नं० 10, न्यू केदार मोहल्ला, नियर कमलेश्वर मन्दिर श्रीनगर गढ़वाल, पौड़ी	सामान्य	23.01.1990	पौड़ी गढ़वाल	एम०ए० गृह विज्ञान/बी०एड०	58.25	दुर्गम विद्यालय में पद रिक्त नहीं आ०नि०मा०शि०कु०मा० नैनीताल

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 667 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-गृह विज्ञान-(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	निर्देश	श्री तेजपाल सिंह	ग्राम-कासमपुर जसपुर जिला-उधमसिंहनगर	अ0पि0वर्ग/524 07/07.03. 22/जसपुर उधमसिंहनगर	05.11.1995	उधमसिंह नगर	बी0ए0- बी0एड0	56.50	दुर्गम विद्यालय में पद रिक्त नहीं अ0नि0मा0शि0कु0म0 नैनीताल
2	ऋतु आर्या	श्री गिरीश राम	ग्राम-लालपुर, पो0-गरुड जिला-बागेश्वर	अनु0 जाति	24.01.1997	बागेश्वर	बी0ए0- बी0एड0	49.50	दुर्गम विद्यालय में पद रिक्त नहीं अ0नि0मा0शि0कु0म0 नैनीताल
3	हिमाद्रि खत्याड़ी	श्री किरन लाल आर्या	ग्राम- किलकोट, पन्तकोटली, रानीखेत जिला-अल्मोड़ा	अनु0 जाति/08562/ 07.03. 18/रानीखेत	03.02.1984	अल्मोड़ा	बी0एस0सी0 गृह विज्ञान/ बी0एड0	48.75	दुर्गम विद्यालय में पद रिक्त नहीं अ0नि0मा0शि0कु0म0 नैनीताल

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—

- (क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की बली-भौति जांच कर ली जाय। कथित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
- (ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
- (ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा0 न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
- (घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय स0अ0एल0टी0-गूह विज्ञान विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—
(1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गूह कला या गूह विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि।
(2)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।

अथवा

- (1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गूह विज्ञान में बी0एस0सी0 (ऑनर्स) विषय के साथ स्नातक की उपाधि/गूह विज्ञान में त्रिवर्षीय स्नातक की उपाधि।
- (2)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।
- (ङ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थायी निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
- (च)- अभ्यर्थी की आयु 01-07-2024 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
- (छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद.....विषय.....के दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0-संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

- 10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विद्यमान नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 11- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।
प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....